न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– रेखा गुर्जर, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 487/2025 प्रार्थना पत्र

1. लच्छु पुत्र रेवता जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी डेलास, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा, राज०
2. शेषमल पुत्र भोजा जाति गुर्जर उम्र बालिग निकासी डेलास, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाडा, राज०

–प्रार्थीगण

बनाम

1. कजोड़ पुत्र लाला जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी डेलास, तहसील करेड़ा, जिला मीलवाड़ा, राज०
2. जीवणी देवी पत्नि स्व. गोपी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी डेलास, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा, राज०
3. नारायण लाल पुत्र गोपी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी डेलास, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा, राज०
4. पारस पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी डेलास, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा, राज०
5. पारसी पुत्री गंगाराम जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी डेलास, तहसील करेडा, जिला भीलवाड़ा, राज०
6. बन्ना पुत्र लाला जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी डेलास, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा, राज०
7. बाली देवी पुत्री गोपी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी डेलास, तहसील कनेडा, जिला भीलवाडा, राज०
8. भागू देवी पत्नि कजु लाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी डेलास, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाडा, राज०
9. मीठु देवी पुत्री गोपी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी डेलास, तहसील करेडा, जिला भीलवाड़ा, राज०
10. रौशनी पुत्री गंगाराम जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी डेलास, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा, राज०
11. लादी देवी पुत्री गोपी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी डेलास, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा, राज0
12. शारदा पुत्री गंगाराम जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी डेलास, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाडा, राज०
13. संतोक पत्नि गंगाराम जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी डेलास, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा, राज०
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेडा, जिला– भीलवाडा, राज०

––विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान का. अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री अशोक कुमार लखारा ––अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. एकपक्षीय ––अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 से 13
3. पेरोकार सरकार ––अधिवक्ता विपक्षी संख्या 14

:: निर्णय ::

दिनांक–02/06/2026

प्रार्थी के द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा– 251–ए राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद डेलास, पटवार हल्का का रामपुरिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बाहेडा जाटान, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा, राज० में खाता संख्या 114 आराजी नम्बर 445/4 रकबा 0.2529 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त खाते की आराजीयात प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होकर कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में चली आ रही है जिसकी जमाबंदी की नकल प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी की उक्त आराजी मे आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि आराजी नम्बर 464 गै.मु. सड़क से होते हुए आराजी नम्बर 445/3 जो विपक्षीगण की है से होकर आते जाते है, उक्त रास्ता 5 मीटर चौडा 44 मीटर लम्बाई के रास्ते को दर्ज कराया जावे।

प्रार्थी का आवेदन प्रस्तुत होनें पर पंजीबद्व किया गया व विपक्षीगण को सम्मन नोटिस तामिल होने के पश्चात विपक्षीगण की ओर उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रकरण मे मौके का निरीक्षण कर प्रार्थी की आराजियात पर प्रस्तावित रास्ता है अथवा नही या वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है या नही, इस बाबत तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार करेड़ा से मंगवाई की आदेशिका पारित की।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए राजस्व अभिलेख , नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई मौका निरीक्षण रिपोर्ट की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थी को आराजियात पर आने जाने , संज बैलगाडी एंव कृषि उपकरण लाने ले जाने के कृषि कार्य का कोई वैकल्पिक रास्ता न होना रिपोर्ट से दृष्टिगत होता है। तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम पर सरहद डेलास, पटवार हल्का का रामपुरिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बाहेडा जाटान, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा, राज० में खाता संख्या 114 आराजी नम्बर 445/4 रकबा 0.2529 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। सरहद डेलास, पटवार हल्का का रामपुरिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बाहेडा जाटान, तहसील करेडा, जिला

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा
जिला – भीलवाड़ा, राज0

लवाडा, राज० मे विपक्षीगण की आराजी नम्बर 445/3 के नाम दर्ज रेकार्ड, मौके पर वर्तमान मे उक्त जियात पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता भी नही है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी नम्बर 5/4 मे आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 445/3 मे से 0.0220 हैक्टयर भूमि आती है, जो कटतम रास्ता है, जो रास्ते मे ली जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य डी.एल.सी. रेट की दुगुनी राशि जो विपक्षी देय है, प्रार्थी अदा करने को तैयार है।

मैने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , प्रार्थी आराजी नम्बर 445/4 मे आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 445/3 रकबा 0.2529 हैक्टयर मे से 220 हैक्टयर भूमि 5 मीटर चौडा 44 मीटर लम्बाई मे दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त वेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी की सरहद डेलास, पटवार हल्का का रामपुरिया, भू–अभिलेख रीक्षक क्षेत्र निम्बाहेडा जाटान, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा, राज० में खाता संख्या 114 आराजी नम्बर 5/4 रकबा 0.2529 हैक्टेयर भूमि मे आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर आराजी नम्बर 445/3 बा 0.2529 हैक्टयर मे से 0.0220 हैक्टयर भूमि 5 मीटर चौडा 44 मीटर लम्बाई भूमि रास्ते के रूप मे कृषि र्य हेतु आने जाने का रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता है तथा इसी भांति राजस्व नक्शा मे प्रस्तावित का अनुसार रास्ता कायम करने की आज्ञा पारित की जाती है। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा तहरीर इस निर्देश के साथ जारी की जावे कि रास्ते के लिए आरक्षित की जाने वाली 0.0220 हैक्टयर रास्ते भूमि की डी.एल.सी. दर से दो गुणा मूल्य प्रार्थी से वसूल कर विपक्षीगण को क्षतिपूर्ति हेतु अदा की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 02.06.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रेखा गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा